प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.07.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अंतर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 10.07.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तों 1. मनीष उर्फ छोटू पुत्र जयवीर निवासी-ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब-21 वर्ष 2. रोहित उर्फ अजगर पुत्र सोहन पाल निवासी-ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब-32 वर्ष 3. जयदीप पुत्र अनिल निवासी-ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब-23 वर्ष 4. तुसार पुत्र रमेश निवासी-ग्राम पाँची थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब-19 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद हुयी । उक्त बरामद मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में थाना दयालपुर उत्तरी पूर्वी दिल्ली व थाना टीपीनगर मेरठ पर चोरी के अभियोग पंजीकृत है । उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा- 317(2),317(5),3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम चारों लोग मिलकर दिल्ली गाजियाबाद व आसपास के जिलों मेरठ, बागपत आदि एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करते है तथा जो मोटरसाइकिलें हम लोगों से बरामद हुई है उनमे से 01 मोटरसाइकिल हम चारों ने मिलकर लगभग डेढ महीना पहले भोला रोड थाना टीपीनगर जनपद मेरठ से चोरी की थी तथा 01 मोटरसाइकिल हम चारों ने मिलकर दयालपुर दिल्ली से कई महीने पहले चोरी की थी। हम जो मोटरसाइकिलें चोरी करते है उन्हें हम अभिषेक पुत्र रमेश निवासी-ग्राम पाँची थाना चाँदीनगर जनपद बागपत को बेच देते हैं तथा पैसे को आपस में बाँट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मनीष उर्फ छोटू पुत्र जयवीर निवासी-ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 21 वर्ष ।
2. रोहित उर्फ अजगर पुत्र सोहन पाल निवासी-ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 32 वर्ष।
3. जयदीप पुत्र अनिल निवासी-ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 23 वर्ष।
4. तुसार पुत्र रमेश निवासी-ग्राम पाँची थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1.अभियुक्त मनीष उर्फ छोटू उपरोक्त के विरूद्ध चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना मुरादनगर पर, 01 चोरी का अभियोग थाना दयालपुर उत्तरी पूर्वी दिल्ली पर, 01 अभियोग चोरी का थाना सिंहानीगेट गाजियाबाद व 01 चोरी का अभियोग टीपीनगर मेरठ (कुल 04 अभियोग) पंजीकृत हैं।

2.अभियुक्त रोहित उर्फ अजगर उपरोक्त के विरूद्ध चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना मुरादनगर पर, 01 चोरी का अभियोग थाना दयालपुर उत्तरी पूर्वी दिल्ली पर, 01 चोरी का अभियोग टीपीनगर मेरठ (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत हैं।

3.अभियुक्त जयदीप उपरोक्त के विरूद्ध चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना मुरादनगर पर, 01 चोरी का अभियोग थाना दयालपुर उत्तरी पूर्वी दिल्ली पर, 01 चोरी का अभियोग टीपीनगर मेरठ (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत हैं।

4.अभियुक्त तुसार उपरोक्त के विरूद्ध चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना मुरादनगर पर, 01 चोरी का अभियोग थाना दयालपुर उत्तरी पूर्वी दिल्ली पर, 01 चोरी का अभियोग टीपीनगर मेरठ (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत हैं।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र रमेश निवासी-ग्राम पाँची थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर टप्पेबाज गिरफ्तार, कब्जे से टप्पेबाजी किये हुए कान की बाली (कुंडल) पीली धातु की बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 06.07.2026 को वादिया श्रीमती विनीता पत्नी वीरु निवासी झंडापुर मेन मार्केट थाना लिंक रोड गाजियाबाद ने थाने आकर एक लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 04.07.2026 को सुबह में अपने घर से दवाई लेने निकल थी,थोडा आगे जाकर 02-03 अज्ञात लड़के मेरे पास आये और मेरे साथ -2 चलने लगे और मुझे अपनी बातों मे बहला फुसला कर धोखे से मेरे कान के कुंडल उतरवाकर चोरी कर भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 318(4)/303(2)/ 3(5)/317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 11.07.2026 को थाना लिंकरोड गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरो की सहायता व मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त पाले खान पुत्र नासिर अली नि0 चांदमारी झुग्गी झोपडी जल्लू चौराहा थाना विजय नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को वसुन्धरा कट से साहिबाबाद डिपो की तरफ जाने वाले रास्ते पर प्लाट सं0 ए - 21/1 के पास से टप्पेबाजी/चोरी से प्राप्त 01 कान की बाली (कुंडल) पीली धातु सहित गिरफ्तार किया तथा बरामदगी के आधार पर धारा 3(5)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब यह वही बाली (कुंड़ल) है जो दिनांक 04.07.26 को मैंने अपने साथी इरफान उर्फ चुम्मन तथा सहताब के साथ मिलकर CEL कंपनी के सामने रोड पर डाकखाने के पास से एक महिला से अपनी बातों में फसाकर ठगे थे। दूसरी बाली (कुंडल) के बारे में पूछने पर बताया कि बह बाली(कुंडल) मेरे साथी इरफान उर्फ चुम्मन तथा सहताब के पास है तथा उन्होने यह बाली(कुंडल) मुझे बेचने के लिये दिया था जिसे बेचने के बाद कुल प्राप्त पैसो में से 5000 रुपये मुझे इरफान उर्फ चुम्मन तथा सहताब को देने थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.पाले खान पुत्र नासिर अली नि0 चांदमारी झुग्गी झोपडी जल्लू चौराहा थाना विजय नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21वर्ष।

2.इरफान उर्फ चुम्मन (वांछित)।

3.सहताब (वांछित)।

बरामदगी का विवरणः-

- टप्पेबाजी किये हुए कान की बाली (कुंडल) पीली धातु की बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध टप्पेबाजी करने के थाना सिहानी गेट,थाना लिंकरोड़ गाजियाबाद व हापुड़ में आर्म्स एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।